

# डिक्री मुकदमा इब्तदाई

5

(ओ 20 रूल 6-7 जाबा दीवानी)

अज अदालत उपरवठ अधिकारी मुकाम टोडाभीम व

इजलास पीठासीन अधिकारी श्री जगदीश आर्य सिंह

## उत्तान

चौथी पुत्र सरवण जी  
 रखा निवासी कमालपुरा  
 तहसील - टोडाभीम  
 करौली

- 1 प्योर पुत्र सरवण जी
  - 2 हरसहाय पुत्र सरवण जी
  - 3 नंगू पुत्र प्रभू
- निवासी कमालपुरा तह टोडाभीम  
 जिला करौली
- 4 तहसीलदार टोडाभीम  
 एस.बी.बी.जे. नांदेरी जरिये जेनेरल  
 एस.बी. नांदेरी जिला करौली  
 मुकदमा नं० 79 सन् 2014

**बनाम**

तफासमा उत्तराधिकारधर ध्यायी  
 बाबत

निषेधाज्ञा  
 यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई स्वर्ई

सुरेश चन्द शर्मा अथः व हाजिरी

मिनकानिब गुदई स्वर् - हजरि

निब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है। व डिक्री दी जाती है कि

कादी खि लाफ प्रतिवादी डिक्री किया जाकर आदिशु दिये जाते  
 हैं कि वंशवार (क्रम के अनुसार) वादी चौथी को ख.न  
 923 रक वा 0.55 है प्रतिवादी नं 1 प्योर को ख.न 923 0.22 का  
 920 रक वा 0.02 है 921 रक वा 1.44 है का प्रतिवादी नं 2 हरसहाय  
 को ख.न 923 रक वा 0.55 है तथा प्रतिवादी नं 3 नंगू को ख.न  
 923 रक वा 0.55 है का प्रतिवादी का उत्तराधिकार धारित किया  
 जाता है, तथा चौथी हरसहाय पि सरवण हि 2/3 नंगू पुत्र  
 पुत्र हि 1/3 के नाम ख.न 922 रक वा 0.02 है संयुक्त उत्तराधिकारी में  
 रहेगा। इसी प्रकार ख.न 924 रक वा 0.13 है जो भी के पर पड़क है  
 प्योर पुत्र सरवण हि 1/2 चौथी पुत्र सरवण हि 1/3 हरसहाय पुत्र सरवण  
 हि 1/3 नंगू पुत्र प्रभू हि 1/3 संयुक्त उत्तराधिकारी में रहेगा के कारण का उत्तराधिकार  
 प्रदायगी मुबलिया 1 नकशा 2 बाबत निर्णय का आग रहेगा।  
 खर्चा इस मुकदमे के मय

शहर \_\_\_\_\_ का अदा करो।  
 मुहर अदालत के आज तारीख 14 माह 6-16 सन्



दस्तखत उपजिला कलक्टर  
 ओहदा टोडाभीम (करौली)

	रुपया	पैसे	मुदायला	रुपया	पैसे
प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
ताना वकील			खर्चा गवाहान		
गवाहान			फीस कमिशनर		
कमिशनर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
त इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
हरिक					
मीजान					

नोट : इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखया गया हो या नहीं दर्ज कराना चाहिए।